

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

25/5/20
16/4

द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम०पी० वाद संख्या 52/2020

प्रथम पक्ष :-

1. मोहन दास पिता स्व० ज्योति दारा, सा० तोरीडीह, थाना पुण्डरु, थाना पिण्डाजोरा, जिला बोकारो।

:- वनाम् :-

द्वितीय पक्ष :-

1. ठाकुर दास गोराई, पिता स्व० छवु गोराई, 2. हरीपद गोराई, 3. कालीपद गोराई 4. पूरण गोराई, 5. लखी राम गोराई सभी पिता स्व० राम गोराई, 6. शंकर गोराई 7. अमूल्य गोराई 8. मालीन्द गोराई 9. नुनवा गोराई, सभी पिता स्व० हराधन गोराई, सभी सा० ग्राम-तुरीडीह, पो० पुण्डरु, थाना पिण्डाजोरा जिला बोकारो।

कार्यवाही

प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 22.02.2020 का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त आवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु प्राप्त है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि का विवरण:-

राजस्व ग्राम/मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकबा
तुरीडीह	पिण्डाजोरा	160 एवं कुर्फा खाता नं० 53	2384	0.35 डी०

अतः आवेदन के विचारोपरान्त द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 27.2.20 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

27/2/2020 सुनना का न्यायालय प्राप्त।

1st party:

- Kurfa Rajput.
- agreement with zamindar and is in possession over the land.
- and party try to humiliate second party.

2nd party

Office File - DDO Office-2018-19- S.D.M. Court - 144 Crpc Proceeding & Notice

- Jagat Mochi is the Kurfa Rajput.
- there is no. cause of action.
- already and party is in possession of land since 1971. (ever since purchase)

1st party

- 2nd party to come over my land and trying to break down of other.
- 1st party trying to construct

Get filed visit report by executive Magistrate
Heard to continue on 14/03/2020 23/03/2020

S/S

27/03/2020

23/3/2020 कोरोना वायरस का प्रकोप भयावह होने के कारण
अधिकतर न्यायिक कार्य रुक चुके हैं।
अभिलेख दिनांक 16/4/2020 को रखा

S.D.M
Chas

15/5/2020
16/4/2020

कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के कारण
केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन
लगाने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 5/8/20 को रखा

कलवार्ड

drop proceedings

S/S

5/8/20

S.D.M
Chas